सं.11.1(3)/2019-बै.एवं अनु.
संघ लोक सेवा आयोग
(बैठक एवं अनुरक्षण अनुभाग)
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड
नई दिल्ली-110069

दिनांक: 12.06. **2019**

सेवा में,

विषय : सं.लो.से.आ. परिसर में बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की तैनाती के लिए निविदा आमंत्रण सूचना।

प्रिय महोदय,

सं.लो.से.आ. परिसर में आयोग भवन के तलों/टैरेस आदि सहित परिसर से बंदरों को भगाने के लिए बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की तैनाती के लिए संविदा हेतु सीलबंद कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कार्य का क्षेत्र इस कार्यालय परिसर में **14.06.2019 से 20.06.2019** तक किसी भी कार्य दिवस को 3.00 बजे से 4.00 बजे के बीच टेलीफोन सं. 011-23388418 पर पुष्टि करने के बाद देखा जा सकता है।

2. बोली एक सील बंद लिफाफे में, जिसके ऊपर मोटे अक्षरों में "**सं.लो.से.आ. परिसर में बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर)** की तैनाती के लिए बोली" लिखा हो, श्री रवीश जोइया, अवर सचिव (बै. एवं अनु.) को संबोधित हो और **26.06.2019** को 3.00 बजे अपराह्न तक पहुंच जानी चाहिए अथवा इस कार्यालय के गेट सी के स्वागत कक्ष पर रखे निविदा बाक्स में डाल दें या पंजीकृत डाक से इस प्रकार भेजें कि यह निर्धारित तारीख तथा जमा करने के समय से पहले अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जाए। उपर्युक्त तारीख को इस कार्यालय में अवकाश/बंद घोषित किए जाने की स्थिति में निविदाएं इस कार्यालय के अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर प्राप्त की जाएगी तथा खोली जाएंगी।

Sd./-

3. बोली के साथ 10,000/- (दस हज़ार रूपए मात्र) की जमा धरोहर राशि (ई.एम.डी.) डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंकर्स चेक/ एफ डी आर के रूप में प्रस्तुत की जाए, जो सचिव, सं.लो.से.आ. के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली में देय हो ।

4. सफल बोलीदाता को 'निष्पादन प्रतिभूति' के रूप में कुल संविदा लागत का 7% डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/एफ.डी.आर. जो सचिव, सं.लो.से.आ. के पक्ष में देय हो, जमा करानी होगी। 'निष्पादन प्रतिभूति' सभी संविदात्मक बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रहनी चाहिए। तथापि, सफल बोलीदाताओं से निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर जमा धरोहर राशि लौटा दी जाएगी।

5. निविदा **26.06.2019** को अपराह्न 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कमरे में बोलीदाताओं या उनके इच्छुक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी।

6. कार्य क्षेत्र :

(i)बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) संविदाकार को बंदरों को भगाने के लिए **लंगूरों की आवाज निकालने की कला जानने वाले विशेषज्ञ बंदर नियंत्रक को मासिक आधार पर (सप्ताह में 7 दिन) उपलब्ध कराना होगा।**

(ii) बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की सेवाएं प्रदान करने का समय **सप्ताह में सात दिनों के लिए सुबह 9.30 बजे से शाम 6.30 बजे होगा** । संघ लोक सेवा आयोग परिसर में तैनात मंकी हैंडलर एम एम (बै.एवं.अनु.) अनुभाग (सोमवार से शुक्रवार तक) और शनिवार एवं रविवार/सरकारी अवकाश के दिन गेट नं. 2 पर अपनी उस्थिति दर्ज करेगा ।

(iii) बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) संविदाकार के संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने में विफल रहने और मंकी जोखिम को रोकने में असमर्थ होने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं ।

Sd./-

(iv) बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की तैनाती का पर्यवेक्षण वरिष्ठ संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी/सुरक्षा अधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा।

(v) बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) संविदाकार या उसका कर्मचारी पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960 में निहित अनुदेशों के दृष्टिगत संघ लोक सेवा आयोग के परिसर से बन्दरों को भगाने/दूर रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

(vi) बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर)संविदाकार आयोग में तैनात अपने कार्मिक को बार-बार नहीं बदलेगा। बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) संविदाकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग में तैनात कार्मिक का मोबाइल नं. आयोग के सभी अनुभागों में परिचालित किया जाएगा ताकि यदि उनकी सेवाओं की किसी भी समय आवश्यकता हो तो वे आसानी से फोन पर सीधे बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) से संपर्क कर सकें। ड्यूटी पर तैनात बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) कार्मिक तत्काल कॉल का प्रत्युत्तर देगा और बिना विलंब के संबंधित अधिकारी की सहायता करेगा।

(vii) बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर)संविदाकार संविदा अवधि के दौरान बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की किसी शारीरिक चोट के मामले में चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करेगा। आयोग द्वारा किसी प्रकार के अतिरिक्त व्यय को वहन नहीं किया जाएगा।

(viii) कार्य के समय बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) को किसी प्रकार की चोट के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

(ix) बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) संविदाकार का अनुबंध एक वर्ष के लिए होगा।

<u>पात्रता मानदण्ड</u>

7. आवेदन करने वाली एजेंसी/संविदाकार के पास वैध आयकर पैन नं. होना चाहिए।

8. आवेदन करने वाली एजेंसी/संविदाकार के पास आधार कार्ड होना चाहिए।

Sd./-

9. एजेंसी/संविदाकार के पास सरकारी मंत्रालयों/विभागों अथवा बड़े निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐसी सेवाएं प्रदान करने का न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का अनुभव होना चाहिए ।

जोखिम क्रय खंड

10. यदि एजेंसी संविदाकार निविदा जमा होने और इसके विधिवत स्वीकार होने अर्थात् आदेश देने के बाद इन निविदा दस्तावेजों के निबन्धन और शर्तों के अनुपालन में विफल रहता है अथवा नियत कार्यक्रम/सुपुर्दगी के अनुसार सेवाएं/सामग्री की आपूर्ति करने में असफल रहता है या किसी भी समय संविदा का परित्याग करता है तो सं.लो.से.आ. को जमा धरोहर राशि को जब्त करने, बोलीदाता द्वारा जमा की गई निष्पादन प्रतिभूति को भुनाने और आपूर्तिकर्ता के जोखिम और परिणाम पर अन्य एजेंसियों से स्टोर प्रापण का अधिकार होगा । वैकल्पिक व्यवस्था और बोलीदाता के निविदा मूल्य के बीच के लागत संबंधी अन्तर की वसूली अन्य प्रारंभिक प्रभारों और सीमा शुल्क कर, मालभाड़ा और बीमा आदि के साथ बोलीदाता से की जाएगी । यदि सं.लो.से.आ. वैकल्पिक स्रोतों के जरिए सेवाएं./सामग्री प्रापण करने के लिए बाध्य हो जाता है और यदि लागत कम हो तो उसका लाभ बोलीदाता को नहीं दिया जाएगा ।

सामान्य नियम

11. संघ लोक सेवा आयोग परिसर में बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की तैनाती वरिष्ठ संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग के अनुदेश पर की जाएगी । कार्य दिवसों के दौरान सं.लो.से.आ. परिसर में तैनात बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) एम एम अनुभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा । शनिवार/ रविवार/ सरकारी अवकाश की दशा में वह अपनी उपस्थिति गेट नं.-2 पर अथवा वरिष्ठ सम्पदा प्रबंध एवं बैठक अधिकारी/ सुरक्षा अधिकारी की सलाह से दर्ज करेगा ।

12. परीक्षा दिवसों, शनिवार, रविवार के दौरान सं.लो.से.आ. में बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की तैनाती का पर्यवेक्षण वरिष्ठ सम्पदा प्रबंध एवं बैठक अधिकारी/ सुरक्षा अधिकारी, सं.लो.से.आ. द्वारा किया जाएगा । वरि. सम्पदा प्रबंध एवं बैठक अधिकारी/ सुरक्षा अधिकारी की अनुपस्थिति में तैनात रात्रि ड्यूटी/ दिवस ड्यूटी और अग्नि शमन ड्यूटी अधिकारी गेट नं. 2 पर बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की उपस्थिति का सत्यापन करेंगे ।

Sd./-

13. आयकर अधिनियम की धारा 194(सी) के संदर्भ में संविदाकार/एजेंसी के बिल से स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी।

14. संविदा एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और इसके आरंभ की तारीख सफल बोलीदाता/बोलीदाताओं को संविदा देने का पत्र जारी करने के सातवें दिन से गिनी जाएगी।

15. यदि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो संविदा को उसी दर, निबन्धन और शर्तों पर आगे एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते फर्म/ संविदाकार का कार्यनिष्पादन आयोग द्वारा संतोषजनक पाया जाता है।

बोलियों का मूल्यांकन

16. एजेंसी/संविदाकार नि.आ.सू. में उल्लिखित सभी कार्यों को अनुलग्नक-I में उद्धृत करेगा, एल-1 फर्म का निर्णय नि.आ.सू. के अनुबंध-I में उद्धृत समग्र दरों के आधार पर किया जाएगा।

17. एजेंसी/संविदाकार द्वारा उद्धृत दरें अन्य सरकारी संगठनों से इसी तरह की सेवाओं के लिए बोलीदाता द्वारा की गई दरों से अधिक नहीं होंगी। इस आशय का प्रमाणपत्र भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों में शामिल किया जाएगा।

भुगतान

18. भुगतान बिल की प्रस्तुति पर मासिक आधार पर किया जाएगा। किसी दिन अनुपस्थित होने की स्थिति में मासिक बिल से यथानुपात के आधार पर कटौती की जाएगी। बंदर नियंत्रण (मंकी हैंडलर) जोखिम से निपटने के लिए मासिक प्रभार वरिष्ठ संपदा प्रबन्धक एवं बैठक अधिकारी द्वारा जारी मासिक कार्य निष्पादन प्रमाणपत्र और प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति के आधार पर वरिष्ठ सम्पदा प्रबंधन एवं बैठक अधिकारी/ सुरक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

Sd./-

19. यदि यह पाया जाता है कि सेवाएं कार्यक्षेत्र के अनुसार और नि.आ.सू. में दिए गए निबन्धनों और शर्तों, निर्धारित अनुसूची के अनुसार नहीं दी जा रही हैं या किसी भी समय यह पाया जाता है कि फर्म सं.लो.से.आ. के कहने के अनुसार अनुपालन नहीं कर रही है तो सं.लो.से.आ. को नहीं दी गई सेवाओं के लिए एजेंसी/संविदाकार के बिल से भुगतान की कटौती करने का अधिकार होगा ।

20. किया गया कार्य आयोग से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद आयोग के लिए संतोषप्रद होना चाहिए । ऐसा न होने पर उक्त संगत माह के कुल बिल से 10% की दर से कटौती की जाएगी। लापरवाही की गंभीरता को देखते हुए आयोग को एजेंसी को काली सूची में डालने और इसकी निष्पादन प्रतिभूति जब्त करने का अधिकार है ।

21. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को किसी निविदा को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का अधिकार है । इस संबंध में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम और फर्म के लिए बाध्यकारी होगा ।

22. उक्त कार्य सं.लो.से.आ. की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्तियों/आपरेटरों द्वारा ही किया जाएगा । एजेंसी/संविदाकार आयोग के अग्रिम रूप से प्राधिकृत कर्मचारियों की सूची उनके परिचय-पत्र के साथ मुहैया कराएगा ।

23. निविदा का अनुमानित मूल्य 2 लाख रूपये है।

Sd./-

(रवीश जोइया)
अवर सचिव, (बै.एवं अनु.)

<u>अनुबंध-I</u>

<u>बंदर नियंत्रक (मंकी हेंडलर) की तैनाती के लिए निविदा आमंत्रण सूचना</u>

कार्य का विवरण	मासिक समेकित दरें
सं.लो.से.आ. के परिसर से बंदर जोखिम नियंत्रण	

संविदाकार/एजेंसी का नाम:...

संविदाकार/एजेंसी के हस्ताक्षर:...

Sd./-